

अनुदान संख्या 3 - पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग
GRANT No. 3-DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	43,00	42,25	-75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1357,97,00		
पूरक	Supplementary	24,69,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	1382,66,00	1199,41,95	-183,24,05
पूंजीगत:	Capital:			
मूल	Original	16,00,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	16,01,00	335,36	-12,65,64
				8,68,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (18324.05 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 2469.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.18324.05 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.2469.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 13 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	1357.00		
पू.	S.	266.00	1593.00	1412.68
पु.	R.	-30.00		-180.32

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2403" पशु पालन	Major Head "2403" Animal Husbandry			
मू.	O.	40164.00		
पू.	S.	747.00	34553.81	33336.37
पु.	R.	-6357.19		-1217.44
मुख्य शीर्ष "2404" डेरी विकास	Major Head "2404" Dairy Development			
मू.	O.	38608.00		
पू.	S.	682.00	36169.61	35522.95
पु.	R.	-3120.39		-646.66
मुख्य शीर्ष "2405" मछली पालन	Major Head "2405" Fisheries			
मू.	O.	13644.00		
पू.	S.	774.00	12137.89	11701.92
पु.	R.	-2280.11		-435.97
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	8400.00		
पु.	R.	-8400.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	31453.00		
पु.	R.	5079.03	36532.03	36527.37
				-4.66

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	2171.00	1445.66	1440.66
पु.	R.	-725.34		
(I) 15741.00 लाख रु. का प्रावधान इकतालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 14950.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-			(I) Provision of Rs.15741.00 lakhs remained wholly unutilised under forty one heads; of these Rs.14950.00 lakhs accounted for under the following major heads:-	
(का) मुख्य शीर्ष "2403" -			(A) Major Head "2403" -	
(क) "कुक्कुट विकास - कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि" - 1800.00 लाख रु.;			(a) "Poultry Development - Poultry Venture Capital fund" - Rs.1800.00 lakhs;	
(ख) "सूअर बाड़ा विकास - सूअर बाड़ा विकास के लिए सहायता" - 450.00 लाख रु.;			(b) "Piggery Development - Assistance for Piggery Development" -Rs.450.00 lakhs;	
(ग) "चरागाह और चारा विकास - खाद्य सुरक्षा और अनुमार्गणीयता" - 300.00 लाख रु.; और			(c) "Fodder and Feed Development - Food Safety and Traceability" - Rs.300.00 lakhs; and	
(घ) "मांस प्रसंस्करण - कटरों की रक्षा और पालन-पोषण" - 2500.00 लाख रु.।			(d) "Meat Processing - Salvaging and Rearing of Male Buffalo Calves" - Rs.2500.00 lakhs.	
उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-approval of the schemes.	
(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -			(B) Major Head "2552" -	
(क) "पशु पालन - गाय और भैंस विकास" -			(a) "Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development" -	

- | | |
|--|---|
| (i) "गाय और भैंस प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - 780.00 लाख रु.; | (i) "National Project on Cattle and Buffalo Breeding" -Rs.780.00 lakhs; |
| (ii) "पशुओं की गणना करने के लिए राज्यों को सहायता" - 1300.00 लाख रु.; | (ii) "Assistance to States in conduct of Livestock Census" -Rs.1300.00 lakhs; |
| (iii) "पशु बीमा के लिए सहायता" - 200.00 लाख रु.; | (iii) "Assistance for Livestock Insurance" – Rs.200.00 lakhs; |
| (ख) "पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य" - | (b) "Animal Husbandry- Veterinary Services and Animal Health" - |
| (i) "पशु रोग नियंत्रण" - 1270.00 लाख रु.; | (i) "Animal Disease Control" - Rs.1270.00 lakhs; |
| (ii) "एवियान इन्फ्लुएंजा संबंधी तैयारी नियंत्रण और रोकथाम" - 750.00 लाख रु.; | (ii) "Preparedness Control & Containment of Avian Influenza" -Rs.750.00 lakhs; |
| (ग) "पशु पालन - चारा और चरागाह विकास - चारा और चरागाह विकास" - 200.00 लाख रु.; | (c) "Animal Husbandry- Feed and Fodder Development -Feed and Fodder Development" – Rs.200.00 lakhs; |
| (घ) "पशु पालन - सूअर बाड़ा विकास" - | (d) "Animal Husbandry - Piggery Development" - |
| (i) "एकीकृत सूअर बाड़ा विकास के लिए राज्यों को सहायता" - 200.00 लाख रु.; | (i) "Assistance to States for integrated Piggery Development" – Rs.200.00 lakhs; |
| (ii) "जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास" - 200.00 लाख रु.; | (ii) "Integrated Development of Small Ruminants" – Rs.200.00 lakhs; |
| (ङ) "पशु पालन - कुक्कुट विकास" - | (e) "Animal Husbandry – Poultry Development" - |
| (i) "कुक्कुट विकास के लिए सहायता" - 400.00 लाख रु.; | (i) "Assistance for Poultry Development" – Rs.400.00 lakhs; |
| (ii) "ग्रामीण पिछला अहाता कुक्कुट विकास" - 250.00 लाख रु.; | (ii) "Rural Backyard Poultry Development" - Rs.250.00 lakhs; |
| (iii) "कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि" - 200.00 लाख रु.; | (iii) "Poultry Venture Capital Fund" - Rs.200.00 lakhs; |

- | | |
|---|--|
| (च) “डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं” - | (f) “Dairy Development-Dairy Development Projects” - |
| (i) “एकीकृत डेरी विकास कार्यक्रम” - 450.00 लाख रु.; | (i) “Integrated Dairy Development Programme” - Rs.450.00 lakhs; |
| (ii) “डेरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि” - 400.00 लाख रु.; | (ii) “Dairy/Poultry Venture Capital Fund” - Rs.400.00 lakhs; |
| (छ) “मछली पालन - अंतःस्थलीय मछली पालन - अंतःस्थलीय एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन” - 200.00 लाख रु.; | (g) “Fisheries - Inland Fisheries - Development of Inland Aquaculture & Fisheries” – Rs.200.00 lakhs; |
| (ज) “मछली पालन - समुद्री मछली पालन” - | (h) “Fisheries- Marine Fisheries” - |
| (i) “मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण और मछली पालन प्रशिक्षण एवं विस्तार” - 200.00 लाख रु.; | (i) “National Welfare of Fishermen and Training and Extension” - Rs.200.00 lakhs; |
| (ii) “समुद्री मछली पालन अवसंरचना का विकास और पैदावार के बाद के कार्य” - 150.00 लाख रु.; और | (ii) “Development of Marine Fisheries Infrastructure and post Harvest Operations” – Rs.150.00 lakhs; and |
| (झ) “मछली पालन - अन्य व्यय - राष्ट्रीय मछली पालन विकास बोर्ड” - 800.00 लाख रु.। | (i) “Fisheries – Other Expenditure- National Fisheries Development Board” – Rs.800.00 lakhs. |

उपर्युक्त सत्रह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above seventeen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- | | |
|--|---|
| (गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” - | (C) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” - |
| (क) “सूअर बाड़ा विकास - जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास” - 1200.00 लाख रु.; और | (a) “Piggery Development - Integrated Development of Small Ruminants” - Rs.1200.00 lakhs; and |
| (ख) “कुक्कुट विकास - ग्रामीण पिछला अहाता कुक्कुट विकास” - 750.00 लाख रु.। | (b) “Poultry Development- Rural Backyard Poultry Development” – Rs.750.00 lakhs. |

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of the scheme.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2403" -

(क) "पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य" -

(i) "पशु संगरोध प्रमाणीकरण सेवाएं" - 375.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 23.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 398.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 100.83 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "पशु प्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित परियोजना प्रबंधन इकाई" - 125.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 13.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 138.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 40.94 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "भेड़ और ऊन विकास - भेड़ प्रजनन और विकास" - 746.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 846.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 119.29 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) किफायती उपायों के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2404" - "दिल्ली दुग्ध योजना" -

(क) "प्रसंस्करण" - 3238.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 250.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3488.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि,

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2403" -

(a) "Veterinary Services and Animal Health" -

(i) "Animal Quarantine Certification Services" - the original provision of Rs.375.00 lakhs was augmented to Rs.398.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.100.83 lakhs (including supplementary grant) - due to non-utilisation of funds by Central Public Works Department.

(ii) "Project Management Unit on National Project on Rinderpest Eradication" - the original provision of Rs.125.00 lakhs was augmented to Rs.138.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.13.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.40.94 lakhs (including supplementary grant) - due to less requirement of funds by implementing agencies.

(b) "Sheep and Wool Development - Sheep Breeding and Development" - the original provision of Rs.746.00 lakhs was augmented to Rs.846.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.119.29 lakhs (including supplementary grant) - due to economy measures.

(B) Major Head "2404" - "Delhi Milk Scheme" -

(a) "Processing" - the original provision of Rs.3238.00 lakhs was augmented to Rs.3488.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.250.00 lakhs.

421.32 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) “परिवहन” - 643.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 663.70 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 179.22 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) विभिन्न संस्थानों के रख-रखाव और लघु निर्माण कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) मुख्य शीर्ष “2405” - “समुद्री मछली पालन - भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण” - 4267.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 519.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4786.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1044.60 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रतिबद्ध व्यय के लिए निधियों की कम मांग होने, रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - पशु पालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग - 1357.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 266.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1623.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और सादगी के उपाय किए जाने के कारण 210.32 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “2403” -

(क) “गाय और भैंस विकास - केंद्रीय प्रशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हेसरघट्टा” - 220.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 17.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 237.00 लाख रु. कर

However, there was a saving of Rs.421.32 lakhs (including supplementary grant) - due to non- filling up of vacant posts and economy measures.

(b) “Transport” - the original provision of Rs.643.70 lakhs was augmented to Rs.663.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.179.22 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards maintenance and minor works of different institute and economy measures.

(C) Major Head “2405” - “Marine Fisheries - Fishery Survey of India” - the original provision of Rs.4267.00 lakhs was augmented to Rs.4786.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.519.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1044.60 lakhs (including supplementary grant) - due to less demand of funds for committed expenditure, non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries” - the original provision of Rs.1357.00 lakhs was augmented to Rs.1623.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.266.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.210.32 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and austerity measures.

(B) Major Head “2403” -

(a) “Cattle and Buffalo Development - Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hesserghatta” - the original provision of Rs.220.00 lakhs was augmented to Rs.237.00 lakhs by obtaining

- दिया गया जो, तथापि, किफायती उपायों के कारण 9.29 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- (ख) “चरागाह और चारा विकास - क्षेत्रीय चारा उत्पादन और निदर्शन केंद्र” - 538.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 121.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 659.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण 43.67 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- (ग) मुख्य शीर्ष “2404” - “दिल्ली दुग्ध योजना” -
- (क) “प्रशासन - 903.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 70.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 973.50 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 25.27 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;
- (ख) “वितरण” - 639.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 939.50 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 37.94 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;
- (ग) “भूमि और भवन” - 98.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 123.50 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 7.44 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और
- (घ) मुख्य शीर्ष “2405” - “ज्वार नदमुखीय/खारा पानी मछली पालन - अवतरण तथा लंगरगाह सुविधाएं” - 142.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 167.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 5.44 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- supplementary grant of Rs.17.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.9.29 lakhs - due to economy measures.
- (b) “Fodder and Feed Development – Regional Stations for Forage Production and Demonstration” - the original provision of Rs.538.00 lakhs was augmented to Rs.659.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.121.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.43.67 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.
- (C) Major Head “2404” - “Delhi Milk Scheme” -
- (a) “Administration” - the original provision of Rs.903.50 lakhs was augmented to Rs.973.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.70.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.25.27 lakhs;
- (b) “Distribution” -the original provision of Rs.639.50 lakhs was augmented to Rs.939.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.37.94 lakhs;
- (c) “Land and Buildings” - the original provision of Rs.98.50 lakhs was augmented to Rs.123.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.7.44 lakhs; and
- (D) Major Head “2405” - “Estuarine/brackish Water Fisheries – Landing and Berthing Facilities” - the original provision of Rs.142.00 lakhs was augmented to Rs.167.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5.44 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपायों के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2403" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

- (का) "पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य" -
- (क) "राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र" - 138.84 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 276.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और यूपीएसआईडीसी से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ख) "एवियान इन्फ्लूएंजा संबंधी तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम" - 2606.83 लाख रु. की बचत (3250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से वैक्सीन बैंक प्रयोगशालाओं द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।
- (खा) "पशु और भैंस विकास - पशु धन बीमा के लिए सहायता" - 750.00 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (गा) "चरागाह और चारा विकास - चारा और चरागाह विकास" - 1672.51 लाख रु. की बचत (3058.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रधान मंत्री विशेष पैकेज के अंतर्गत पूर्व में जारी की गई राशियों के उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।
- (घा) "प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यिकी - पशुओं की गणना किया जाना" - 374.47 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से स्पष्ट प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to economy measures.

(IV) Under Major Head "2403" - savings occurred under the following heads:-

- (A) "Veterinary Services and Animal Health" -
- (a) "National Veterinary Biologicals Products Quality Control Centres" - saving of Rs.138.84 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.276.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of utilisation certificates from UPSIDC.
- (b) "Preparedness Control and Containment of Avian Influenza" - saving of Rs.2606.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3250.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by vaccine banks labs owing to administrative and procedural delays.
- (B) "Cattle and Buffalo Development - Assistance for Livestock Insurance" - saving of Rs.750.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years with the implementing agencies.
- (C) "Fodder and Feed Development - Feed and Fodder Development" - saving of Rs.1672.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3058.00 lakhs) was due to non-submission of utilisation certificates for earlier releases under Special PM Package.
- (D) "Administrative Investigation and Statistics - Conduct of Livestock Census" - saving of Rs.374.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of clear proposals from implementing agencies.

(ड) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य संगठन” - 433.86 लाख रु. की बचत (492.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्य विभाग और विश्व बैंक के बीच करार के प्रारूप को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2404” - “दिल्ली दुग्ध योजना - अधिप्राप्ति” के अंतर्गत 3701.35 लाख रु. की बचत (5.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 26336.80 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली दुग्ध योजना के राजस्व की कम प्राप्तियां होने और उसके परिणामस्वरूप व्यय पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “2405” - “अन्य व्यय - राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड” के अंतर्गत 2010.00 लाख रु. की बचत (6700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने और स्कीमों के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशु पालन - गाय और भैंस विकास - मुख्य पशु उत्पाद के उत्पादन का अनुमान लगाने संबंधी एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण” - 192.36 लाख रु. की बचत (727.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - मछली पालन - अंतःस्थलीय मछली पालन - अंतःस्थलीय एक्वाकल्चर और मछली पालन का विकास” - 285.00 लाख रु. की बचत (1978.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेष पैकेज के अंतर्गत राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रयोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - मछली पालन - समुद्री मछली पालन - समुद्री मछली पालन अवसंरचना का विकास और पैदावार के बाद के कार्य” के अंतर्गत 592.50 लाख रु.

(E) “International Co-operation – Other Organisations” - saving of Rs.433.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.492.00 lakhs) was due to non-finalisation of draft agreement between Deptt. of Economic Affairs and World Bank.

(V) Under Major Head “2404” - “Delhi Milk Scheme - Procurement” - saving of Rs.3701.35 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.26336.80 lakhs including supplementary grant of Rs.5.00 lakhs) was due to less revenue receipts of Delhi Milk Scheme and consequent restriction of expenditure.

(VI) Under Major Head “2405” - “Other Expenditure – National Fisheries Development Board” - saving of Rs.2010.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6700.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies and delay in approval of schemes.

(VII) Under Major Head “3601” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants for Central Plan Schemes – Animal Husbandry – Cattle and Buffalo Development – Integrated Sample Survey on Estimation of Production of Major Livestock Product” - saving of Rs.192.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.727.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Fisheries – Inland Fisheries – Development of Inland Aquaculture and Fisheries” - saving of Rs.285.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1978.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from States under special package.

(VIII) Under Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Fisheries – Marine Fisheries –Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Posts Harvests

की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुदुचेरी की सरकार से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(IX) दो शीर्षों के अंतर्गत 105.17 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत और 36 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (8202.18 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 1429.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय/अनुदान की पूरक मांग के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2403" -

(क) "पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं" - 275.00 लाख रु.।

(ख) "गाय और भैंस विकास - गाय और भैंस के प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - 3084.97 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3058.46 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2404" - "डेरी विकास परियोजनाएं" -

(क) "सहकारिता को सहायता के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सहायता अनुदान" - 245.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 244.00 लाख रु. था।

(ख) "गहन डेरी विकास कार्यक्रम" - 473.61 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 465.47 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2405" - "समुद्री मछली पालन - तटवर्ती मछली पालन" - 248.60 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 204.71 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशु पालन - पशु चिकित्सा

Operation" - saving of Rs.592.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to less demand from Govt.of Puducherry.

(IX) Under two heads savings of Rs.105.17 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 26 percent and 36 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.8202.18 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.1429.00 lakhs vide Annexure to Supplementary Demand for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2403" -

(a) "Veterinary Services and Animal Health - Central Disease Diagnostic Laboratories" - Rs.275.00 lakhs.

(b) "Cattle and Buffalo Development - National Project for Cattle and Buffalo Breeding" - Rs.3084.97 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3058.46 lakhs.

(B) Major Head "2404" - "Dairy Development Projects" -

(a) "Grants-in-aid to N.D.D.B. for Assistance to Co-operative" - Rs.245.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.244.00 lakhs.

(b) "Intensive Dairy Development Programme" - Rs.473.61 lakhs. Actual excess, however, was Rs.465.47 lakhs.

(C) Major Head "2405" - "Marine Fisheries - Off-shore Fisheries" - Rs.248.60 lakhs. Actual excess, however, was Rs.204.71 lakhs.

(D) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Animal Husbandry -

सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु रोग नियंत्रण” - 3875.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3874.94 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “2403” -

(क) “कुक्कुट विकास - केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन” - 223.41 लाख रु. का अधिक व्यय (170.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1275.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने और मुर्गी दाने के मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) “चरागाह और चारा विकास - चारा फसलों संबंधी मिनीकित परीक्षण कार्यक्रम” - 239.54 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चारा मिनीकितों की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2405” - “विस्तार और प्रशिक्षण - केंद्रीय मत्स्य पालन समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान” - 271.39 लाख रु. का अधिक व्यय (105.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1109.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से निधियों की अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” -

(क) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशु पालन - गाय और भैंस विकास - पशुओं की गणना के लिए राज्यों को सहायता” - 1357.85 लाख रु. का अधिक व्यय (11000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

Veterinary Services and Animal Health – Animal Disease Control” – Rs.3875.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3874.94 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2403” -

(a) “Poultry Development – Central Poultry Development Organisations” - excess of Rs.223.41 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1275.00 lakhs including supplementary grant of Rs.170.00 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report and price rise of Poultry Feed.

(b) “Fodder and Feed Development – Minikit Testing Programme on Fodder Crops” - excess of Rs.239.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for supply of fodder minikits.

(B) Major Head “2405” – “Extension and Training – Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training” - excess of Rs.271.39 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1109.00 lakhs including supplementary grant of Rs.105.00 lakhs) was due to more demand for funds from different implementing agencies.

(C) Major Head “3601” -

(a) “Grants for Central Plan Schemes – Animal Husbandry – Cattle and Buffalo Development – Assistance to State in conduct of Livestock Census” - excess of Rs.1357.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11000.00 lakhs);

(b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

- (i) “पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु प्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना” - 178.00 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) “पशु स्वास्थ्य - चारा और चरागाह विकास - चारा और चरागाह विकास” - 194.91 लाख रु. का अधिक व्यय (730.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (iii) “कुक्कुट विकास - कुक्कुट विकास के लिए सहायता” - 323.76 लाख रु. का अधिक व्यय (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (iv) “डेरी विकास - डेरी विकास परियोजना” -
- (1) “गहन डेरी विकास कार्यक्रम” - 146.25 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

- (2) “गुणवत्तायुक्त और स्वच्छ दूध के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण” - 227.09 लाख रु. का अधिक व्यय (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता प्रस्तुत किए जाने के कारण हुआ।
- (v) “मछली पालन - समुद्री मछली पालन” -
- (1) “समुद्री मछली पालन अवसंरचना का विकास और पैदावार के बाद के कार्य” - 1000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2500.00 लाख रु.

- (i) “Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health – National Project on Rinderpest Eradication” - excess of Rs.178.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs);
- (ii) “Animal Husbandry – Feed and Fodder Development – Feed and Fodder Development” - excess of Rs.194.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.730.00 lakhs);
- (iii) “Poultry Development – Assistance for Poultry Development” - excess of Rs.323.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs); and
- (iv) “Dairy Development – Dairy Development Project” -
- (1) “Intensive Dairy Development Programme” - excess of Rs.146.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

- (2) “Strengthening Infrastructure for Quality and clean milk” - excess of Rs.227.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by some State Governments to complete ongoing projects.
- (v) “Fisheries – Marine Fisheries” -
- (1) “Development of Marine Fisheries Infrastructure and Post Harvest Operation” - excess of Rs.1000.00

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मछली पकड़ने के चालू बंदरगाहों के निर्माण और मछली अवतरण नियंत्रण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for construction of ongoing fishing harbours and fish landing control projects.

- (2) “मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण और मछली पालन प्रशिक्षण एवं विस्तार” - 233.80 लाख रु. का अधिक व्यय (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

- (2) “National Welfare of Fisherman and fisheries training and extension” - excess of Rs.233.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 171.45 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत और 64 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of Rs.171.45 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 26 percent and 64 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष “4405” मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4405” Capital Outlay on Fisheries			
मू.	O.	1500.00		
पु.	R.	-1052.48	447.52	236.83
				-210.69

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) “विस्तार और प्रशिक्षण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “केंद्रीय मत्स्य पालन समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान” - 600.02 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण” - 643.12 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मछली पकड़ने के पोतों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुईं।

(II) Under “Extension and Training” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training” - saving of Rs.600.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs); and

(B) “Fishery Survey of India” - saving of Rs.643.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in process of procurement of fishing vessels.